

प्रेषक:-

रजिस्ट्रार जनरल,  
राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर

प्रेषित:-

जिला एवं सैशन्स न्यायाधीश,  
अजमेर, अलवर, बालोतरा, बीकानेर, बूंदी, बांसवाडा, भरतपुर, बांरा, भीलवाडा,  
चुरू, चित्तोडगढ, दौसा, धोलपुर, झुंजारपुर, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, जयपुर  
महानगर, जयपुर जिला, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, झालावाड, जोधपुर महानगर,  
जोधपुर जिला, करोली, कोटा, मेडता, पाली, प्रतापगढ, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,  
सीकर, सिरौही, टोंक, उदयपुर

**विषय:- बार रूम आदि के विधुत उपभोग का व्यय न्यायालय द्वारा वहन नहीं करने बाबत ।**

**सन्दर्भ:-कार्यालय पत्रांक लेखा/बिल्डिंग/बीकानेर/बुन्दी/विविध/2015-16/  
566 दिनांक 20/7/2015**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि उक्त प्रकरण में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है कि न्यायालय व न्यायालय परिसर में स्थित अभिभाषक संघ के भवन,अधिवक्ताओं के चैम्बर आदि के विधुत उपभोग का व्यय क्या राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा या सम्बन्धित बार अभिभाषक संघ व अधिवक्ताओं के स्वयं के द्वारा, ऐसी स्थिति में जब तक उक्त प्रकरण पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कार्यालय पत्रांक लेखा/बिल्डिंग/बीकानेर/बुन्दी/विविध/2015-16/566 दिनांक 20/7/2015 की अनुपालना नहीं की जावे ।

इस बाबत आपके न्याय क्षेत्र के समस्त बार अभिभाषक संघ को उक्तानुसार सूचित किया जावे ।

भवदीय,

sd

ओ.एस.डी. (एफ. एण्ड आई.)

क्रमांक: III/(1)बी/बजट/2015-16/40/सं 862

दिनांक 14/8/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- ✓ 1- Computer Cell, Rajasthan High Court ,Jodhpur -- for uploading on Rajasthan High Court website.
- 2- AOJ (Building Cell ) Rajasthan High Court , Jodhpur

14.8.15  
ओ.एस.डी. (एफ. एण्ड आई.)